

विचार बिन्दु

कुछ प्रलोभन परिश्रमी व्यक्ति को हो सकते हैं, किंतु सारे प्रलोभन तो केवल आलसी व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हैं। -मुक्ता

गिग वर्कर्स - समस्याएं और चुनौतियां

ग) वर्कर्स शब्द वैसे तो 1952 से ही विश्व में प्रचलन में है, किंतु भारत में इसकी चर्चा हाल के वर्षों में ही प्रारंभ हुई है। यह शब्द उन व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है, जिनका नियोजन के साथ कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं होता। यह मिलकुल अल्प अवधि के लिए विश्वेक काम करने वालों पर लागू होता है। इनकी कार्य अवधि में बहुत लचीलापन संभव है और कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार इस काम को कर सकता है, जिसके लिए निर्धारित पारिश्रमिक देय होता है।

भारत के परिप्रेष्य में यह शब्द दो प्रकार के कामों के लिए सर्वाधिक प्रचलन में है पहला, उबर - ओला टैक्सी कंपनियों के वाहन चालकों के लिए और दूसरा विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉयस के लिए। कुछ लोग इस काम को अपने मुख्य काम के अलावा अतिरिक्त कमाई के लिए करते हैं, तो अधिकांश के लिए यही एकमात्र रोजगार है।

चूँकि इस प्रकार के काम में लगे लोगों का नियोक्ता के साथ सेवा संबंधी कोई पूर्णकालिक समझौता नहीं है, इन पर श्रम कानून के कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

यह सही है कि भारत में लगभग 85 प्रसिद्ध श्रमिक और कर्मचारी असंतुष्ट क्षेत्र में हैं अर्थात् ये संगठित होकर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसी का लाभ उठाकर नियोजकों सामान्यतया कर्मचारियों को जब चाहे दान देते हैं। उन्हें किसी प्रकार की सेवा सुरक्षा और सेवा संबंधी अन्य लाभ भी सामान्यतः नहीं मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में से अधिकांश किसी एजेंसी के माध्यम से सविदा पर काम करते हैं, जिनका नियोजक के साथ सीधा संबंध नहीं होता। यही नहीं, अब तो सरकार ने भी अपने अधिकांश कर्मचारी किसी एजेंसी के माध्यम से सविदा पर रखे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवा नियमों के लाभ से वंचित रहते हैं।

टैक्स की क्षेत्र में जब से उबर और ओला कंपनियाँ ने प्रवेश किया, तब से टैक्सों संचालन का स्वयंश ही बदल गया। यह बड़े रोजगार के अवसर के रूप में देखा गया। कई बेरोजगार युवाओं ने नई कारों खरीद कर अपने आपा को उबर और ओला के साथ पंजीकृत करवा लिया। प्रारंभ में उन्हें कई प्रकार के इंस्टेंड दिए जाते थे जो, 'राइड्स' की संख्या पर आधारित थे। ग्राहकों को भी कई प्रकार की छूट दी जाती थी। अच्छी कमाई के लालच में कई लोगों ने ऋण लेकर कारों खरीदी और टैक्स की रूप में इन कंपनियों के साथ संपर्क रखर करवा दी। शुरू में उनसे कमाई भी ठीक-ठाक हो जाती थी इसलिए वह स्वन रोजगार का अच्छा माध्यम बन गया। जैसे-जैसे ग्राहकों की निर्भरता इन कंपनियों पर बढ़ती गई वैसे-वैसे उबर - ओला में रिजिस्टर्ड वाहन को दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी टैक्सों प्रारंभ कर दी एवं उनके प्रकाशन कर कर ड्राइवरों को मिलने वाली राशि भी कम हो गई। कई लोग तो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गए कि उनकी कमाई में से कार लोन की किस्त चुकाना भी मुश्किल ही गया। उसमें से कमाई होना तो दूर की बात थी। लोन की किश्तें नहीं चुका पाने से कारों लोन देने वाली कंपनियों बीच रास्ते से ही बाहर करवाकर हरीदी कर ल कर ले जाने लगीं। उनकी समसे काडी सम्पत्त यही थी कि ये कभी संगठित होकर इन वाहन कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी ये कंपनियाँ इतनी बड़ी हैं कि इनके लिए किसी भी यूनिपन को तोड़ना और उसके नेताओं को खारिज कर कठिन काम नहीं है। यह एक कारण है, जिससे संगठित होकर उबर और ओला कंपनियों के साथ, डाइवरों का कोई सम्मानजनक सम्झौता नहीं हो पाया।

टाँकसी के अतिरिक्त, दूसरा जो बड़ा अवसर बेरोजगारों के लिए उपलब्ध हुआ है वह प्लेटफार्म ब्रेकड सेवा प्रदाता जैसे स्वामी, जोमेटो, क्लिकडॉट और डायग्राम्स से सामान लोगों के चारों तक पहुँचाने का है। इस प्रकार के काम में लगे लोगों को 'डिलीवरी बॉयज' कहा जा सकता है। आप किसी भी शहर को छहक पर किसी भी समय निकल जाएँ तो सड़क पर आपको बहुत बड़ा सा बॉयस मोटोरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए ऐसी से मोटरसाइकिल चलाने हेतु युवा दिख जायेंगे। इनके टी शर्ट पर लिखे नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि यह सब डिलीवरी बॉयज हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और अपने लिए अतिरिक्त आय के संधान के रूप में यह काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए रोजगार का यही एकमात्र अवसर है।

लिफ्टिङ-ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक हो गई है कि ब्रिजलॉक जैसी कंपनियां ने तो टाढाको तक 10 मिनिट में सामान पहुंचाने की गारंटी देने प्रारंभ कर दिया। इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया। इस समय-सीमा समूहानु समूहानु के लिए मोटरसाइकिल चलाने वाले बहुत प्रेमी हो मोटरसाइकिल चलाने के। कई बार ट्रैफिक लाइव का भी उल्लंघन करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती न इनके काम के घंटे निश्चित हैं। ये सब भी इस कंपनियों में 'लाइव इन' कर लेते हैं तो कंपनी का आदेश मिलते ही उनके घाते के लिए उपलब्ध

भारत में प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स की संख्या जो 2020-21 में लगभग 77 लाख थी वह 2024-25 में बढ़कर लगभग ढाई करोड़ हो गई है। इस संख्या में इतनी वृद्धि, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति का ही सूचक है। कई डिलीवरी बॉयज़ से बात करने पर पता लगा कि उनमें से कई स्नातक और डिप्लोमा धारक हैं और वे अपने काम के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।

किसी अन्य प्रकार के अनियमित इस प्रकार का जोखिम भरा कार्य, नाम मात्र की आमदनी में करने के लिए मजबूर है। यह लेख लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अब जब भी पाठक किसी डिलीवरी बॉय को सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देखें, तो उनकी अत्यंत कठिन कार्य परिस्थितियों का उनको ध्यान रहे ताकि वे उनके प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें।

10 से 15 किलो तक वजन उठाकर पहुंचना पड़ा। निरंतर इस प्रकार का काम करते रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तियों को दिलीवरी की गई, उनमें से किसी ने मुस्कुरा कर दिलीवरी को भी धन्यवाद तक नहीं कहा, टिप तो दूर की बात है। पाठकों से यह आग्रह है कि भविष्य में उनके पास यदि कोई दिलीवरी बाँटा जाए तो उसको सहानुभूति करें एवं उसको मुस्कुरा कर धन्यवाद अवश्य दें। इससे यदि उसे आर्थिक लाभ न भी हो तो उसे अच्छा एहसास तो होगा।

अधिक कमाई के लालच में ये दिलीवरी बाँयज कई बार 10 - 12 - 15 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इस प्रकार के काम से थका आना स्वाभाविक है क्योंकि शारीरिक क्षमता भी सीमित होती है। इस कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इस प्रकार के काम करने वाले लोग बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए इनमें संगठित होकर अपना परिश्रमिक बढ़वाने के लिए आंदोलन करना पसंद नहीं है। यह वास्तविकता, देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति का एक संकेत मात्र है। इसी लिए उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार को पाठकों से अपेक्षा है।

राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जिसने राजस्थान प्लेटफार्म ब्रेड गिंग वर्कर्स (पंजीयन एवं कल्याण) अधिनियम, 2023 बनाया। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्लेटफार्म ब्रेड वर्कर के लिए पंजीयन की अनिवार्यता है। इसी प्रकार, सेवा प्रदाता को भी अपना पंजीकरण कराना होता है। इनके लिए स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना बीमा आदि की व्यवस्था की गई है। इस काम के अंतर्गत एक गिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन और वेलफेयर फंड का प्रावधान किया गया है। इस कल्याण कोष के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गिंग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना के समय सहायता करने की व्यवस्था की गई है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में यह बोर्ड बनाया गया है। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव सदस्य हैं।

राजस्थान द्वारा यह कानून बनाए जाने के बाद कर्नाटक और केरल ने भी इसी प्रकार के कानून बनाए हैं। यह कानून बहुत आवश्यकता था क्योंकि इनके अभाव में गिरा वर्क्स का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था। यदि यह कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाए और सेवा प्रदाता थोड़ी सी संवेदनशीलता का परिचय दें तो इन गिरा वर्क्स को सेवा शर्तों और सुख का सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि इन पर कोई न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होता, किंतु मुख्य के साथ-साथ संगठन बनने के बाद, संभव है इनके लिए न्यूनतम आया प्रति घंटा निर्धारित की जा सके।

वह 2024-25 में बढ़कर लगभग ढाई करोड़ हो गई है। इस संख्या में इतनी वृद्धि, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति का ही सूचक है। कई डिलीवरी बॉयज़ से बात करने पर पता लगा कि उनमें से कई स्नातक और किसी अन्य नौकरी के अभाव में इस प्रकार का जोखिम भरा कार्य, नाम मात्र की आमदनी में करने के लिए मजबूर हैं।

यह लेख लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अब जब भी पाठक किसी डिलीवरी बॉय को सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देखें, तो उनकी अत्यंत कठिन कार्य परिस्थितियों का उनको ध्यान रहे ताकि वे उनके प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें।

10 मिनट में डिलीवरी करने की गारंटी देने के विज्ञापन पर हाल ही में न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है क्योंकि इसी गारंटी के कारण पेनल्टी से बचने के लिए डिलीवरी करने वाले तेज गति से मोटर साइकिल चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना भी करते हैं ताकि किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगे।

गिंग वकर्स के कारण नागरिकों के कई प्रकार के काम समय पर घर बैठे हीन लगे हैं और व घर बैठकर किसी भी प्रकार का सामान तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि इन काम में लगे लोगों की सेवा शर्तें, सुखा और कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों के प्रावधानों का पालन उसकी भावना के अनुसार किया जाए ताकि यह वर्ग हर प्रकार के शोषण से बच सके।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)